



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES



No. A-22011/2/2023-Rectt.

Nagpur, dated : 18/12/2023

CIRCULAR

As per standard practice it is decided to call applications for transfer from officers/officials of IBM pertaining to the following three Categories as follows for the year 2024 :-

- (1) Officers / Officials (Group 'A', 'B' & 'C') who are willing to be transferred from one station to other station of their choice at own cost. While requesting, it will be clearly mentioned in the request letter as well as in the recommendation of the Controlling Officer that requested transfer is at **"OWN COST"**.
- (2) Officers / Officials (Group 'A', 'B' & 'C') who have completed their residency periods considering the lower limit of residency period as per Transfer Policy of Group 'A' & 'B' (Gazetted) and Group 'B'(NG) & 'C' (Non Gazetted posts) in accordance with the Transfer Policy uploaded in the IBM Website. Besides, guidelines as enumerated in Transfer policies, guidelines formulated by Annual Transfer Committee shall also be taken into consideration.
- (3) Officers / Officials (Group 'A', 'B' & 'C') who want their transfers to and fro in North Eastern Region will be as per the Government instructions in this regard.

The applications for transfer are to be submitted by the concerned officers / officials to the Head of Office, IBM, HQ, Nagpur through proper channel **with specific recommendations of respective Controlling Officer** within 15 days from the date of issue of this Circular in the prescribed format enclosed. Any application received without the recommendations of Controlling Officer will not be entertained and shall be dealt purely on the merit it deserves.

Further, the Controlling Officers are requested to examine the applications prior to forwarding the same to IBM(HQ) and it may also be ensured that the transfer application invariably contains specific recommendations to the effect that whether the transfer application is made in **'PUBLIC INTEREST'** or **'AS REQUEST AT OWN COST'**.

All previous applications received shall become infructuous.

This issues with the approval of Competent Authority.

Encl. : As stated.


(Dinesh Kumar)

Senior Administrative Officer
Email: rectt@ibm.gov.in
Telefax: 0712-2565333

To :

- (1) All the Divisional/Zonal/Regional/Sub Regional/Sectional/RMPL Heads of IBM.
- (2) OIC, TMIS, IBM, Nagpur for uploading of this circular in IBM Website.

P.T.O. for Hindi version



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो



संख्या : ए-22011/2/2023-भर्ती

नागपुर, दिनांक : 18/12/2023

परिपत्र

मानक अभ्यास के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो के निम्नांकित तीन संवर्ग के अधिकारियों /कर्मचारियों से स्थानांतरण हेतु वर्ष 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है ।

1. अधिकारी/कर्मचारी (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग') जो अपने पसंद के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं के खर्च पर स्थानांतरण चाहते हैं । आवेदन करते समय आवेदन में नियंत्रक अधिकारी की अनुशंसा के साथ-साथ यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि निवेदित स्थानांतरण स्वयं के खर्च पर है ।
2. अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाईट में अपलोड की गई समूह 'क' एवं 'ख' (राजपत्रित) के स्थानांतरण नीति तथा समूह 'ख' (अराजपत्रित) एवं 'ग' (अराजपत्रित पद) की स्थानांतरण नीति के अनुसार तैनाती के स्थान पर विचाराधीन न्यूनतम सीमा अवधि की कालावधि पूर्ण कर ली है । इसके अतिरिक्त वार्षिक स्थानांतरण समिति द्वारा स्थानांतरण नीति में दिए गए दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।
3. अधिकारी/ कर्मचारी (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग') जो इस संबंध में सरकारी अनुदेशों के अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्र में और उत्तर पूर्व क्षेत्र से अपना स्थानांतरण चाहते हो ।

संबंधित अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरण हेतु अपना आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संबंधित नियंत्रण अधिकारी की अनुशंसाओं के साथ उचित माध्यम द्वारा इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्यालय अध्यक्ष (मुख्यालय), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत करें। नियंत्रण अधिकारी की अनुशंसा के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा मामलों का निस्तारण विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होगा।

इसके अलावा, नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि, वे आवेदनों को भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय में अग्रेषित करने के पूर्व आवेदनों की जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण आवेदन पर निष्पवाद रूप से विशिष्ट अनुशंसा अंकित हो, कि क्या स्थानांतरण आवेदन, "जनहित में है" या "स्वयं के खर्च पर अनुरोध" के अनुसार है।

पिछले प्राप्त सभी आवेदन निरस्त माने जाएँगे।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न :-यथोपरि।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

Email:rectt@ibm.gov.in

Telefax: 0712-2565333

प्रति:-

1. भारतीय खान ब्यूरो के सभी प्रभाग/आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय/क्षेत्रीय अ.प. प्रयोगशाला प्रमुख ।
2. प्रभारी अधिकारी, टीएमआईएस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को यह परिपत्र आई.बी.एम. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कृपया अंग्रेजी संस्करण के लिए पृष्ठ पलटें।

FORMAT FOR TRANSFER ON REQUEST / TRANSFER UNDER POLICY

1. Name & designation of Officer/Official :
2. Present station of posting :
3. Date since posted at the present station :
4. (a) Choice of station of posting : (i)
(in chronological order (i)(ii)(iii) in (ii)
case of transfer in public interest) (iii)
- (b) Choice of station of posting in case : (i)
of transfer at own cost (ii)
(iii)
5. How many years of service left :
6. No. of previous transfers :
7. Reasons in chronological order (i)(ii)(iii) :
8. Remarks, if any :

Recommendations of the Controlling Officer

Signature of the applicant

Signature of Controlling Officer

Note :- Only one para at 4(a) or 4(b) shall be completed.